न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 74/2020
प्रविष्टि दिनांक 19-11-2020

भरतलाल पुत्र रामफूल मीणा निवासी ग्राम-अलीपुरा भगवानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

-अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला- टोक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 29-10-2020 मिसल नम्बर 1277/2020

उपस्थिति : (1) श्री गजेन्द्र शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 22-9-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 29-10-2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 105, 97/640 वाके ग्राम अलीपुरा भगवानपुरा में अतिक्रमण कर मकान, जोत व उडद की फसल काश्त करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 105/रूपये की पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर नहीं दिया ओर पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है, केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए बिना तथ्यों की जॉच किये एंव अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो विधि [illegible] तथ्यों के वितरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया ओर न ही मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई ओर बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मौके पर जाकर स्वतंत्र गवाहान के बयान लिये ही निर्णय पारित कर दिया जबकि विधि अनुसार निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण कर यह भली भांति साबित होने के बावजूद कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है अथवा नहीं ? कब्जा साबित होने पर ही निर्णय पारित किया जाता, उक्त निर्णय गलत सादिर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट का मकान सरकारी भूमि पर नहीं है स्वंय की आराजी पर मकान का निर्माण है। अपीलान्ट के पिताजी के समय से लगभग 25–30 वर्षो से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला हा रहा है, जो कि खसरा परिवर्तनशील से भी साबित है। इस कारण उक्त एडवर्स पजेशन के आधार पर भी अपीलारान्ट के विरूद्ध कोई धारा–91 की कार्यवाही मेन्टेनेबल नहीं है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि तहसीलदार उनियारा ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ क्रमशः भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। विवादित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 105, 97/640 वाके ग्राम अलीपुरा भगवानपुरा में अतिकमण कर मकान, जोत व उडद की फसल काश्त की है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिकमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 105, 97/640 वाके ग्राम अलीपुरा भगवानपुरा में अतिकमण कर मकान, जोत व उडद की फसल काश्त कर अतिकमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में स्वंय ने माना है कि अपीलान्ट के पिताजी के समय से लगभग 25–30 वर्षो से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला हा रहा है, जो कि खसरा परिवर्तनशील से भी साबित है। अपीलान्ट राजकीय भूमि पर से अपना कब्जा छोडना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिकमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 29–10–2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22–9–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner